कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0बजट–17/2018–1028 दिनांक : 04/11/2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची/ कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभागीय भवनों का जीर्णोद्धार, नव निर्माण एवं डीप बोरिंग की स्थापना हेतु कुल **रू0 155.950 लाख (एक करोड़ पचपन लाख पनचानवे हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–4/यो0ब0–24/2019–47/स्वी0 व0प0 दिनांक–15.10.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या–04/यो0ब0–24/2019–95/आ0 व0प0 दिनांक–21.10.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–15–वन प्रबंधन सुविधायें योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 155.950 लाख (एक करोड़ पचपन लाख पनचानवे हजार रुपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796150103	62.380
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796150323	93.570
कुल :–		**155.950**

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कुल राशि में एक प्रतिशत लेबर सेस शामिल है, इसलिए उक्त राशि का भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्धारित खाता में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

4. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796150103 एवं 19S240601796150323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन के अनुरूप की जाएगी।

9. राशि की निकासी जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. उक्त स्वीकृति राशि के विरुद्ध निर्माण कार्य से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या– 3916 दिनांक–13.09.2012 का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

18. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन में यह स्पष्ट नहीं है कि भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा अधिसूचित कार्य दर के अनुरूप है या अन्य कार्य दर पर तैयार किया गया है। अतः झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित कार्य दर पर ही कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाए।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो०बजट–17/2018–**1028 दिनांक–04/11/2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ दुमका/ राँची वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ दुमका/ गुमला/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो०बजट–17/2018–**1028 दिनांक–04/11/2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ चाईबासा/ दुमका/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जानेवाली वन प्रबंधन सुविधाएँ योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत विभागीय भवनों के जीर्णोद्धार, नव निर्माण एवं डीप बोरिंग की स्थापना हेतु उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	प्रस्तावित कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	वन विभागीय बंगला संख्या–10 तथा उससे सम्बद्ध भवनों से संबंधित मरम्मति कार्य	18.550	7.420	11.130	18.550
		प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी के कार्यालय कक्ष का रख–रखाव एवं सुसज्जीकरण	5.853	2.341	3.512	5.853
		प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजनाएँ के कार्यालय कक्ष का रख–रखाव एवं सुसज्जीकरण	6.000	2.400	3.600	6.000
		प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के 2nd floor में सहायक वन संरक्षक के चेम्बर, बरामदाएँ एवं गोपनीय शाखा का रख–रखाव एवं सुसज्जीकरण	6.031	2.412	3.619	6.031
		वित्तीय वर्ष 2017–18 में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के अपार्टमेंट (C-49 से C-56) में जलापूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था का संधारण	2.522	1.009	1.513	2.522
		वन पदाधिकारी आवास गृह संख्या A/6 (APCCF, Campa) में कर्वड, अंश चहारदिवारी एवं कार शेड का निर्माण बिजली इत्यादि का कार्य।	6.407	2.563	3.844	6.407
		वन पदाधिकारी आवास गृह कैम्पस में अवस्थित 27 आवासीय भवनों में जलापूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था का संधारण	4.000	1.600	2.400	4.000
		तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कॉलोनी में स्वच्छता हेतु डस्टबिंस का निर्माण–04 संख्या	2.000	0.800	1.200	2.000
		वन पदाधिकारी फ्लैट संख्या–C/3 में मरम्मति/रख–रखाव कार्य	0.619	0.248	0.371	0.619
		वन भवन परिसर के ब्लॉक बी0 में अवस्थित Envis Section के छत का Water Proofing एवं Thermal Installation कार्य	0.197	0.079	0.118	0.197
		Forest Staff Colony, डोरण्डा में पीलर सहित Gate का निर्माण कार्य	1.067	0.427	0.640	1.067
		Forest Staff Colony Quarter (C-79 to C-82) में नाली का निर्माण कार्य	1.047	0.419	0.628	1.047
		योग :–	**54.293**	**21.717**	**32.576**	**54.293**

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	प्रस्तावित कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
2	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	गोईलकेरा वन विश्रामागार में डीप बोरिंग की स्थापना	2.660	1.064	1.596	2.660
		वनरक्षी आवास गृह कैम्पस गोईलकेरा में डीप बोरिंग की स्थापना	2.660	1.064	1.596	2.660
		बरकेला वन विभागीय कैम्पस में डीप बोरिंग की स्थापना	2.660	1.064	1.596	2.660
		योग :–	**7.980**	**3.192**	**4.788**	**7.980**
3	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	वन क्षेत्र पदाधिकारी, हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका के 1012 फीट (6 फीट उँचा) चाहरदिवारी का निर्माण, गेट सहित	26.062	10.425	15.637	26.062
		वन विश्रामागार, बासुकीनाथ का सुसज्जीकरण	4.500	1.800	2.700	4.500
		क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका के आवास का रख–रखाव	3.000	1.200	1.800	3.000
		वन संरक्षक, दुमका के आवास का रख–रखाव	2.000	0.800	1.200	2.000
		योग :–	**35.562**	**14.225**	**21.337**	**35.562**
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	बानो वन प्रक्षेत्र का 1200 फीट (6 फीट उँचा) चाहरदिवारी का निर्माण, गेट सहित	30.762	12.305	18.457	30.762
		कोलेबिरा वन प्रक्षेत्र का 971 फीट (6 फीट उँचा) चाहरदिवारी का निर्माण, गेट सहित	23.262	9.305	13.957	23.262
		योग :–	**54.024**	**21.610**	**32.414**	**54.024**
5	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका के आवास में टाईल्स लगाना एवं बोरिंग की स्थापना आदि।	4.091	1.636	2.455	4.091
		योग :–	**4.091**	**1.636**	**2.455**	**4.091**
		सकल योग :–	**155.950**	**62.380**	**93.570**	**155.950**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2019-20\Allotment\TSP\Forest Management Facility\S.O. 47 dt 15.10.2018 (2)\Scheme

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

साल वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-17/2018/1028 दिनांक - 04-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	70300	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	2,171,700.00 रुपये इक्कीस लाख इकहत्तर हजार सात सौ
2	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	70302	SGHFOR002 SRI ABHISHEK BHUSHAN IFS D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	319,200.00 रुपये तीन लाख उन्नीस हजार दो सौ
3	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	70304	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	1,422,500.00 रुपये चौदह लाख बाइस हजार पाँच सौ

योग: 3,913,400.00

क्रमिक योग: रुपये उनचालीस लाख तेरह हजार चार सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-17/2018/1028 दिनांक - 04-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	70305	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	2,161,000.00 रुपये इक्कीस लाख इकसठ हजार
5	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	70306	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	163,600.00 रुपये एक लाख तीरसठ हजार छः सौ
6	S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	70318	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	3,257,600.00 रुपये बत्तीस लाख सत्तावन हजार छः सौ

योग: 5,582,200.00

क्रमिक योग: रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार छः सौ 9,495,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.248

पत्र संख्या - 01/YB-17/2018/1028 दिनांक - 04-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	70319	SGHFOR002 SRI ABHISHEK BHUSHAN IFS D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	478,800.00 रुपये चार लाख अठहत्तर हजार आठ सौ
8	S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	70321	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	2,133,700.00 रुपये इक्कीस लाख तैतीस हजार सात सौ
9	S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	70324	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	3,241,400.00 रुपये बत्तीस लाख इकतालीस हजार चार सौ

योग: 5,853,900.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड तीरपन लाख उनचास हजार पाँच सौ 15,349,500.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF,DEV,JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-17/2018/1028 दिनांक - 04-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	70325	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	245,500.00 रुपये दो लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ

State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)

Centeral Scheme : NA

योग:		245,500.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड पचपन लाख पिनचानवे हजार	15,595,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.151.248

[redacted]